न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 173 / 2015

उनवान

1. मोहन लाल पिता गोकल धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. घीसू लाल पिता हजारी धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र मोडा धाकड निवासी धाकडखेड़ी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. लक्ष्मीचन्द्र पुत्र मोडा धाकड निवासी धाकडखेड़ी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. रामचन्द्र पुत्र मोडा धाकड निवासी धाकडखेड़ी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 90 / 2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.6.2015

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी सारस्वत ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.8.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ की सरहद में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेसुदा आराजियात आराजी नम्बर 564 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात पर पूर्वजों के समय से ही वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं लगान राज्य सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के दक्षिण दिशा के पडौसी हैं । वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के दक्षिणी मेर पर काफी संख्या में पैड लगा रखे हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी मेड को लेकर आये दिन विवाद करते रहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा विवाद करने के कारण वादीगण ने दिनांक 5.6.04 को वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराई । वादीगण द्वारा वादग्रस्त जमीन की पत्थरगढी करवाने के बावजूद दिनांक 25.4.08 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी मेड पर करीब 4 फिट अन्दर अनाधिकृत प्रवेश कर तारों की बाड लगा दी और वादग्रस्त आराजी की पूरी दक्षिणीमेड पर नाजायज कब्जा कर लिया तथा वादीगण द्वारा लगाये गये पैडों को भी अपनी जमीन में मिला लिया ।

2. वादग्रस्त आराजी की गिरदावर हल्का द्वारा पत्थरगढी की जाने के बावजूद प्रतिवादीगण ने लठ के जोर पर वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी मेड पर अनाधिकृत कब्जा कर लोहे के तार की बाड लगा दी एवं वादीगण को धमकी दी कि तारों को हटाने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने भूमिधारी के कर्मचारियों द्वारा की गई पत्थरगढी व सीमाचिन्हों को न मानकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी मेड पर जबरन अतिचार कर नाजायज कब्जा कर लिया । दिनांक 27.4.08 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से अनाधिकृत तारों की बाड को हटा लेने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कब्जा छोडने से इंकार कर दिया । अतः इस आशय की बेदखली की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावेकि मौजा धाकडखेडी पटवार हल्का धाकडखेडी की आराजी संख्या 564 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा की दक्षिणी मेड पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराया जावे। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का कब्जा सुपुर्द किये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर पुनः अनाधिकृत कब्जा नहीं करे वादीगण को बेदखल नहीं करे एवं वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तगण की बहस सुनी ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की भावना से पारित किये जाने वाले निर्णय की परिभाषा में नही आता है। क्योंकि निर्णय दोनों पक्षों की सहमति सामन्जस्य एवं दोनों पक्षों में सौहार्द बने रहने के परिप्रेक्ष्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में पारित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में किये जाने वाले निर्ण्य बाबत जारी निर्देशों की अवहेलना की है। अतःअधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायाल ने मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबंदी का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि राजस्व रेकार्ड में सहवन से इन्द्राज किया गया है जिसका नाजायज लाभ उठाकर प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मूल वाद मे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है एवं वादग्रस्त आराजी सहवन से राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी/वादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थीगण ने प्रकरण को सहमति से निस्तारित किये जाने का कोई निवेदन नहीं किया गया उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। जो विधिविपरीत है।

11. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण 6.5.2008 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.11.2008 को प्रतिवादीगण सांख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । दावा एवं जवाब दावे के आधार पर दिनांक 20.1.2009 को तनकियात कायम की गई। उसके उपरान्त प्रकरण साक्ष्य वादी मे नियत की गई। उसके उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य में दिनांक 31.3.2010 को रामचन्द्र पी डब्ल्यू 1 के बयान कराये गये । दिनांक 20.4.2011 को वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू 2 भूरा लाल के बयान पंजीबद्ध कराये गये एवं साक्ष्य प्रतिवादी में प्रकरण को नियत कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.5.2011 नियत की गई। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 23.6.2015 नियत की गई, तथा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया ।

12. प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में दिनांक 23.6.2015 को नियमित पेशी के रूप में नियत किया गया। पत्रावली से स्पष्ट है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से राजीनामे के आधार पर नहीं किया जाकर उभयपक्ष की सहमति से दिनांक 23.6.2015 को कैम्प में रखा जाकर मेरिट के आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसे लोक अदालत का निर्णय नहीं माना जा सकता।

13. प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा पत्थरगढी कराये जाने के आवेदन के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी की गई। दिनांक 5.6. 2004 को पत्थरगढी का पर्चा मौका बनाया गया । जिसके अनुसाार वादग्रस्त आराजी नम्बर 564 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा की जरीब चलाकर वादग्रस्त आराजी की मेडों पर पत्थर गढवाये गये।

14. प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कथन है कि उसके बाद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त जमीन की पत्थरगढी करवाने के बावजूद दिनांक 25.4.08 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी मेड पर करीब 4 फिट अन्दर अनाधिकृत प्रवेश कर तारों की बाड लगा दी और वादग्रस्त आराजी की पूरी दक्षिणीमेड पर नाजायज कब्जा कर लिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 प्रदर्श में वादग्रस्त आराजी नम्बर 564 रकबा 4 बीघा 08 के खातेदार हीरालाल, लख्मीचन्द रामचन्द्र पिता मोडा , नाराणी पत्नि मोडा धाकड साकिन देह दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा पत्थरगढी आदेश के अनुक्रम में ही वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 प्रस्तुत किया है, तथा अपीलाण्टगण द्वारा पत्थरगढी आदेश से भिन्न कब्जा का अनाधिकृत तोरों की बाड लगाना जाहिर कर कब्जेयाबी का दावा किया है। जिस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 564 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा की दक्षिणी मेड का पुनः सीमांकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा पाया जाने की स्थिति में ही अवैध कब्जा मानते हुए हटाये जाने एवं वादीगण को कब्जा सुपुर्द किये जाने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की डिक्री जारी की है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित कराया है। जिसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.2015 को यथावत रखा जाता हैं। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 28.8 .2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 173 / 2015

उनवान

1. मोहन लाल पिता गोकल धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. घीसू लाल पिता हजारी धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र मोडा धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. लक्ष्मीचन्द्र पुत्र मोडा धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. रामचन्द्र पुत्र मोडा धाकड निवासी धाकडखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 90 / 2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.6.2015

——

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 173 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 28.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राकेश चौहान वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आर सी सारस्वत उपस्थिति मे दिनांक 28.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.2015 को यथावत रखा जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

28/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस